



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215497
CG-DL-E-16012020-215497

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]
No. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2020/पौष 23, 1941
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2020/PAUSHA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

का.आ. 175(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
562	एनई 4	गुजरात राज्य में बड़ोदरा के निकट नई रारा सं. 148एन और एनई-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भरुच, सूरत, नवसारी, बलसाड, वापी, संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली में सिलवासा, महाराष्ट्र राज्य में विरार, भिवंडी, कल्याण, बदलापुर को जोड़ते हुए और जेएनपीटी पर पनवेल के निकट नई रारा सं. 348 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रसेवे (निर्माणाधीन)।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2013-पी एण्ड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 4142 (अ), दिनांकित 19 नवंबर, 2019 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

S.O. 175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
562	NE 4	The Expressway (under construction) starting from its junction with new NH No. 148N and NE-1 near Vadodara connecting Bharuch, Surat, Navasari, Valsad, Vapi in the State of Gujarat, Silvasa in the Union Territory of Dadar and Nagar Haveli, Virar, Bhiwandi, Kalyan, Badlapur and terminating at its junction with new NH No. 348 near Panvel at JNPT in the State of Maharashtra.

[F. No. NH-14012/2/2013-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 4142(E) dated 19th November, 2019.